भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 682
उत्तर देने की तारीख : 25.07.2024

एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना

682. डॉ. डी. रवि कुमारः
श्री जी. सेल्वमः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः
श्री नवसकनी के.:
डॉ. थोल तिरूमावलवनः
श्री ए. राजाः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश, विशेषकर तमिलनाडु, में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश, विशेषकर तमिलनाडु, में एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'एक' योजना (एएसपीआईआरई) के अंतर्गत इनक्यूबेट की जा रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित, वेतन के आधार पर नियोजित और स्वरोजगार प्राप्त लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) तमिलनाडु में इनक्यूबेशन केंद्रों की सूची और उनकी योजना-वार उपलब्धियां क्या हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री जीतन राम मांझी)

(क) और (ख): सरकार तमिलनाडु सिहत देश में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में एमएसएमई चैंपियंस योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) और एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन (रैंप) सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पिछले 5 वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:-

i. क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए ऋण की विभिन्न श्रेणियों हेतु 85 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपए (दिनांक 01.04.2023 से लागू) तक की सीमा का कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करना ।

ii. आत्मनिर्भर भारत कोष के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी का प्रावधान है।

iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए बढ़ी हुई सीमाओं के साथ नया संशोधित मानदंड।

iv. व्यवसाय करने की सुगमता के लिए ''उद्यम पंजीकरण पोर्टल'' के जरिए एमएसएमई का पंजीकरण।

v. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

vi. एमएसएमई के स्तर में किसी प्रकार के उन्नयन की स्थिति में 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभ प्रदान करना।

vii. 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम की शुरुआत।

viii. श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (एनसीएस) तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कौशल भारत डिजिटल के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल का समावेशन। पंजीकृत एमएसएमई, प्रशिक्षित श्रमशक्ति तक पहुंच तथा क्षमता निर्माण में सक्षम हैं।

ix विवाद से विश्वास-I के अंतर्गत एमएसएमई को काटी गई कार्यनिष्पादन सिक्युरिटी, बोली संबंधी सिक्युरिटी तथा लिक्विडेटेड नुकसान के 95 प्रतिशत वापसी के जरिए राहत प्रदान की गई थी। संविदाओं की अनुपालना में चूक के कारण प्रतिबंधित कर दिए गए एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई।

x प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत।

xi. 18 व्यवसायों में संलग्न परम्परागत कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक समग्र लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत।

(ग) और (ङ): नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन की योजना (एस्पायर) के तहत दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में सात आजीविका व्यावसायिक इन्क्यूबेटर (एलबीआई) और एक प्रौद्योगिकी व्यावसायिक इन्क्यूबेटर (टीबीआई) को अनुमोदित किया गया है। तमिलनाडु राज्य में परियोजनाओं की उपलब्धियों और उनकी स्थिति के साथ-साथ एलबीआई और टीबीआई का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) : एस्पायर के तहत प्रशिक्षित लाभार्थियों, पारिश्रमिक आधार पर नियोजित, स्व-नियोजित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 682, जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, के भाग (ग) और (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(i) आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई): 30.06.2024 तक तमिलनाडु राज्य में सात एलबीआई का विवरण और उनकी वर्तमान स्थिति तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	घटक	कार्यान्वयन एजेंसी	बल क्षेत्र/परियोजना क्षेत्र	प्रशिक्षुओं की संख्या		
				उत्तीर्ण	अन्य इकाइयों में कार्यरत	स्व-नियोजित
1.	एलबीआई-सरकारी	एनएसआईसी-तकनीकी सेवा केंद्र, चेन्नई, तमिलनाडु	टमाटर केचप प्रसंस्करण, बेकरी, पैकेजिंग, 3डी प्रिंटिंग और स्कैनिंग	3,989	442	206
2.	एलबीआई-सरकारी	कॅयर बोर्ड, क्षेत्रीय विस्तार केंद्र, कॅयर बोर्ड, तंजावुर, तमिलनाडु	कॅयर आधारित बहु उत्पाद	592	0	33
3.	एलबीआई-पीपीपी	निफ्ट-टीईए निटवियर फैशन संस्थान, तिरुपुर, तमिलनाडु	वस्त्र और परिधान	1,993	1,353	240
4.	एलबीआई-सरकारी	भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी)/राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), तंजावुर, तमिलनाडु	खाद्य प्रसंस्करण, पेय प्रसंस्करण	1,352	499	376
5.	एलबीआई-सरकारी	एमएसएमई-टीडीसी (पीपीडीसी) विस्तार केंद्र, कोयंबटूर, तमिलनाडु	कृषि- ग्रामीण अपशिष्ट से धन- कृषि, वस्त्र और सौर पीवी	362	101	65
6.	एलबीआई-निजी	मेंटर संस्थान: ईडीआईआई, अहमदाबाद मेजबान संस्थान: क्रिसेंट इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन काउंसिल	खाद्य प्रसंस्करण	कार्यान्वयनाधीन		
7.	एलबीआई-निजी	मेंटर संस्थान: एलआईई, गुवाहाटी मेजबान संस्थान: जे.के.के. मुनिराजा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस	खाद्य प्रसंस्करण	कार्यान्वयनाधीन		
			कुल	**8,288**	**2,395**	**920**

(ii) <u>प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई):</u> 30.06.2024 तक तमिलनाडु राज्य में अनुमोदित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीआरईसी-एसटीईपी) द्वारा समर्थित स्टार्ट-अप/परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	स्टार्ट-अप का नाम	उद्योग/क्षेत्र	उत्पाद/सेवाएं
1.	स्टेराडियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	स्वास्थ्य सेवा	स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद
2.	प्रगति बायोटेक	कृषि	समुद्री शैवाल से कप्पा कैरेगनन जेल निष्कर्षण
3.	सोलर इंस्पेक्ट ट्रैप सैफ्स	कृषि	कीट प्रकाश जाल - एकीकृत कीट प्रबंधन उपकरण
4.	लर्निंग्रो	कृषि	पावर बुलॉक – स्टेबल मिनी ट्रैक्टर
5.	नेजल	कृषि	पानी रहित स्टार्च निष्कर्षण साबूदाना उत्पादन प्रणाली
6.	नेचुरल बेवरेजेज	कृषि	हर्बल समृद्ध फल पेय
7.	प्योर टेक इंडिया	कृषि	कृषि के लिए भूजल का लागत प्रभावी उपचार
8.	फ्रिगोस्कैन	कृषि	फलों और सब्जियों के लिए ऑनलाइन प्री-चिलर
9.	कन्नन एग्रो	कृषि	और अधिक तेल निष्कर्षण के लिए बहुउद्देश्यीय रोटरी मिनी एक्सपेलर
10.	कटर्स और स्लाइसर्स	कृषि	कटर स्लाइसर डाइसर
11.	नेचर बाउल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	कृषि	नारियल खेत की उपज आईओटी हार्डवेयर
12.	बलराम एग्रो	कृषि	उन्नत मूविंग लीवर हैंड वीडर
13.	वेंकडाचलपथी इंडस्ट्रीज एंड हार्डवेयर्स	कृषि	पावर टिलर आधारित हल्दी हार्वेस्टर

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 682, जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई) के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या		
		प्रिशक्षित	काम पर लगाए गए लोग	स्वनियोजित
1.	आंध्र प्रदेश	1,885	250	157
2.	असम	1,853	28	377
3.	बिहार	7,727	276	2,207
4.	छत्तीसगढ	896	92	35
5.	दिल्ली	3,384	311	390
6.	गुजरात	6,367	1,010	369
7.	हरियाणा	7,145	135	1,013
8.	हिमाचल प्रदेश	296	0	40
9.	जम्मू और कश्मीर	668	9	4
10.	झारखंड	218	0	5
11.	कर्नाटक	1,399	263	1
12.	केरल	5,722	1,519	636
13.	मध्य प्रदेश	4,433	1,897	903
14.	महाराष्ट्र	8,524	673	1,589
15.	मणिपुर	6,927	582	4,717
16.	मेघालय	2,026	19	445
17.	मिजोरम	1,399	243	293
18.	नागालैंड	743	15	220
19.	ओडिशा	5,165	163	124
20.	पुडुचेरी*			
21.	राजस्थान	2,623	218	110
22.	सिक्किम	523	47	30
23.	तमिलनाडु	8,288	2,395	920
24.	तेलंगाना	6,936	1,268	771
25.	उत्तर प्रदेश	13,431	901	2,515
26.	उत्तराखंड	4,228	414	573
27.	पश्चिम बंगाल*			
	कुल	1,02,806	12,728	18,444

* कार्यान्वयनाधीन